वित्त निर्देश 9/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर

क्रमांक 92/एफ 2014-04-01669/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015), पशु चिकित्सा (राजपत्रित) अधिकारियों की अधिवार्षिकी-आयु में वृद्धि।

प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों हेतु निर्धारित अधिवार्षिकी आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु विचार किया जाकर निर्णय लिया गया है कि, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी पशु चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते है, और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा (राजपत्रित) अधिकारी भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम 20 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो, कि अधिवार्षिकी आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाये ।

2. तद्नुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) (क्रमांक 10 सन् 2015) दिनांक 8.4.2015 (प्रति संलग्न) में प्रकाशित किया जा चुका है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 दिनांक 01 दिसंबर, 2014 से प्रभावशील होगा अर्थात् माह दिसंबर, 2014 में 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा ।

3. ऐसे पशु चिकित्सक जो दिनांक 1.12.2014 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी आगामी कर्त्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी । ऐसे पशु चिकित्सक दिनांक 30.04.2015 तक अनिवार्य रूप से कार्य पर उपस्थित हों अन्यथा यह माना जायेगा कि वे पुनः शासकीय सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं । ऐसे पशु चिकित्सक जो अभी तक पुनः कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं के मामले में उनके पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा शासन के इस निर्णय से उनकों तत्काल लिखित में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को भी दी जावेगी । समस्त लौटाये जाने वाले स्वत्वों के शासकीय खजाने में जमा करने के बाद ही पुनः कार्यग्रहण की पात्रता होगी । उनकी सेवानिवृत्ति एवं पुनः कार्यग्रहण की अवधि के बीच के व्यवधान का निराकरण तथा सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये गये स्वत्वों एवं नवीन पदस्थापना का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा:-

1. सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः कार्यग्रहण की तिथि तक की व्यवधान अवधि के निराकरण हेतु पशु चिकित्सक के निवेदन पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके खाते में जमा अवकाश अथवा अन्य अवकाश न होने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।
2. पशु चिकित्सक के सेवानिवृत्ति पश्चात यदि पेंशन/उपदान अथवा पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त में पेंशन मद (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा करते हुए कोषालय अधिकारी से प्रमाणित चालान की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
3. यदि अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि एकमुश्त में शासकीय खजाने में वापस जमा करना आवश्यक होगा तथा उक्त अवकाश को अवकाश खाते में पुनः जमा दिखाया जायेगा ।
4. पशु चिकित्सक जो सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा योजना के सदस्य थे, को यदि समूह बीमा योजना के बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो पुनः कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि व्यवधान अवधि के अंशदान सहित मुख्य शीर्ष 8011 समूह बीमा योजना में जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों की परिवार कल्याण निधि में जमा राशि का यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।
5. ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य थे तथा उन्हें नियमानुसार योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई संपूर्ण राशि संबंधित शीर्ष 8342 परिवार कल्याण निधि में वापस जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी ।
6. पशु चिकित्सक द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो उक्त राशि उसके द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किया जायेगा किन्तु यदि वह राशि वापस जमा नहीं करना चाहता है तो उससे

इस बाबत् एक लिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर या सेवा अवधि में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी । यह घोषणा पत्र उसकी व्यक्तिगत नस्ती में रखा जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी ।

7. यदि सेवानिवृत्ति पर पशु चिकित्सक के सामान्य भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान कर दिया गया है तो उसे भुगतान की गई समग्र राशि एकमुश्त शासन के लोक लेखा में शीर्ष 8009 में वापस जमा करना होगा तथा महालेखाकार को उक्त पशु चिकित्सक के सामान्य भविष्य निधि खाते को पुनः चालू करने हेतु निवेदन करना होगा ।

8. सामान्यतः पशु चिकित्सक को वह जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है उसी पद पर कार्यग्रहण करना होगा किन्तु यदि वह पद रिक्त न हो तो किसी भी समान रिक्त पद पर उसे पदस्थापित किया जायेगा ।

9. यदि पशु चिकित्सक के सेवानिवृत्ति से संवर्ग में रिक्त हुए पद पर किसी अन्य पशु चिकित्सक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तथा संवर्ग में कोई समान पद रिक्त न हो तो उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा वरन् सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए संवर्ग में एक सांख्येतर पद निर्मित किया जाकर उसे उस पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा संवर्ग में कोई भी समान पद रिक्त होने पर उसे उस पद के विरूद्व समायोजित किया जायेगा ।

4. ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात 01 दिसंबर, 2014 पर सेवावृद्धि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

<u>संलग्न :- राजपत्र की प्रति</u>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथ आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती) 13/04/2015
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 93/एफ 2014-04-01669/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13/04/15

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल 2015— चैत्र 18, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 3191/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 06-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह 1 दिसम्बर 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :-

(एक) उप-नियम (1) में, शब्द "एवं" के स्थान पर, अल्पविराम चिन्ह "," प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) उप-नियम (1) में, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द "(1-च)" के पश्चात्, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द "एवं (1-छ)" अंत:स्थापित किया जाये.

(तीन) उप-नियम (1-च) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(1-छ) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित)भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' के पद पर नियुक्त हुआ हो, उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, अंतिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जायेगा :

परंतु उपरोक्त वर्णित सेवा के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि, किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त हो जायेगा.

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसे पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो, बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि, दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी."

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 3191/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2015)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sansodhan) Adhiniyam, 2015. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 1st day of December, 2014.

2. In Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), the following amendment shall be incorporated, namely :- Amendment of Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Act No. 29 of 1967.

(i) In sub-rule (1), for the word "and", the punctuation comma "," shall be substituted.

(ii) In sub-rule (1), after the parenthesis, figure, hyphen and word "(1-f)", the parenthesis, figure, hyphen and word "and (1-g)" shall be inserted.

(iii) After sub-rule (1-f), the following shall be added, namely :-

"(1-g) (a) Subject to the provision of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service appointed to the post of 'Veterinary Medical' as mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years :

Provided that on attaining the age of sixty five years, a member of the abovementioned service on the abovementioned post, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

Explanation - For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Services" means a Government Servant, by whatever designation called, appointed as a Veterinary Medical Officer or Specialist in accordance with the recruitment rules as applicable to such appointment and shall also include such Veterinary Medical Officer or Specialist, who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has served as Veterinary Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided that he holds a lien on a post in the concerned Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Services.

(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st December, 2014."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.